

फर्द अहकाम

(नियम 26)



वाइमेर

अज अदालत.....मुकाम.....

.....अनिल कुमारबनाम.....अनुदेवी वगैराह

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन, अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

नं. 254 सन 2023

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
06/06/23	<p>प्रार्थी अनिल कुमार की ओर से वकील श्री राणाराम गौड़ उपस्थित होकर यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जो दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की ईकतरफा बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण जरिये नॉटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक <u>12/07/23</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (SDO), वाइमेर </p>	
12/07/23	<p>पत्रावली) पेश हुई। उपस्थित) के वकील उपस्थित। अर्थात् 04, 10, 15, 23 को उपस्थित। को उपस्थित कर किमान उक्त तहसीलदार से तलब किया गया। अर्थात् पत्रावली उपस्थित। उपस्थित। अर्थात् उपस्थित। नहीं होने से वाइमेर उपस्थित जाता है। पत्रावली किमान हुकम होकर वाइमेर उपस्थित है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर (SDO), वाइमेर </p>	